सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-7423/MP/257/2026-RU-I

दिनांक: 20.07.2026

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला-गुना,
कलेक्टर कार्यालय,
गुना-473001, मध्य प्रदेश
ईमेल – dmguna@nic.in

वन मंडलाधिकारी,
गुना वन मण्डल, मध्य प्रदेश
कार्यालय वनमंडलाधिकारी
वनमंडल, गुना-473001, मध्य प्रदेश
ई-मेल: dfot.gun@mp.gov.in

विषय: वन भूमि पर विगत 25–26 वर्षों से काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे भिलाला जनजाति समुदाय के परिवारों को बेदखल किए जाने एवं कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न किए जाने संबंधी श्री मुलेश भिलाला एवं अन्य निवासी ग्राम आँखवारी एवं केमवारी, तहसील-बामोरी ,जिला-गुना, मध्यप्रदेश-473105 का अभ्यावेदन दिनांक 09.04.2026 के संदर्भ में ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री मुलेश भिलाला एवं अन्य,
निवासी ग्राम आँखवारी एवं केमवारी,
तहसील-बामोरी ,जिला-गुना, मध्यप्रदेश-473105

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
पत्रावली संख्या - NCST/DEV-7423/MP/257/2026-RU-I

वन भूमि पर कृषि कार्य कर रहे भिलाला जनजाति समुदाय के परिवारों को कथित रूप से बेदखल किए जाने एवं वनाधिकार संबंधी संरक्षण प्रदान किए जाने के संबंध में श्री मुकेश भिलाला एवं अन्य के अभ्यावेदन पर दिनांक 16.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 16.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. श्री मुकेश भिलाला एवं अन्य द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 09.04.2026 में अवगत कराया गया कि वे भिलाला जनजाति समुदाय से संबंधित गरीब एवं श्रमिक परिवार हैं तथा उनका मुख्य आजीविका स्रोत मजदूरी एवं वन भूमि पर कृषि कार्य है। अभ्यावेदकगण के अनुसार वे विगत लगभग 25 से 26 वर्षों से ग्राम आँखवारी एवं केमवारी स्थित वन भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं और उक्त भूमि पर उनकी आजीविका निर्भर है।
3. अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से विवाद उत्पन्न किया जा रहा है तथा उनकी फसलों को नुकसान पहुँचाया गया है। अभ्यावेदकगण का यह भी आरोप है कि वन विभाग, गुना द्वारा उन्हें उक्त भूमि से हटाने तथा वहां प्लांटेशन कार्य कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे उनके समक्ष आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।
4. अभ्यावेदकगण ने आयोग से अनुरोध किया है कि उन्हें वन भूमि पर कृषि कार्य से बेदखल किए जाने से संरक्षण प्रदान किया जाए तथा वनाधिकार संबंधी उनके दावों एवं अधिकारों का परीक्षण कर विधिसम्मत संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि यदि उन्हें भूमि से हटाया जाता है तो संबंधित आदिवासी परिवारों के समक्ष जीविकोपार्जन का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा।
5. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 07.05.2026 को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला-गुना तथा वन मंडलाधिकारी, गुना वन मण्डल को नोटिस जारी किया गया था। तथापि, सुनवाई की तिथि तक संबंधित विभागों द्वारा आयोग को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. सुनवाई के दौरान अभ्यावेदक अनुपस्थित रहें अभ्यावेदन के अनुसार वे लंबे समय से संबंधित भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों एवं संरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। भूमि से बेदखली की आशंका के कारण संबंधित परिवारों में भय एवं असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
7. सुनवाई दिनांक के दिन प्राप्त हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी,सामान्य वनमण्डल गुणा के रिपोर्ट में प्राधिकारी ने आयोग को अवगत कराया है कि अनुसूचित जनजाति समाज के संपूर्ण समाज को आजीविका हेतुं उचित पट्टे दिये जा चुके हैं तथा उनकी वस्तृत सूची भी दी गई है रिपोर्ट अभ्यावेदक द्वारा दिये गए सूचना को भ्रामक तथा अतथ्यपरक बताया है तथा सेटेलाइट के इमेजेस का जिक्र किया है जिसमें विदित है कि 5-6 वर्षों से उन भूमि पर भी कब्जा बढ़ा है जो वन क्षेत्र हैं। रिपोर्ट के अनुशार अभ्यावेदक भूमिहीन नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार अभ्यावेदन भ्रामक तथा तथ्यों को छूपाया गया है अतः नस्तिबद्ध किये जाने की मांग की है।
8. आयोग ने गंभीर चिंता व्यक्त की कि आयोग द्वारा विधिवत नोटिस जारी किए जाने के बावजूद जिला प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग ने यह भी अवलोकन

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

किया कि प्रकरण अनुसूचित जनजाति समुदाय के भूमि एवं वनाधिकारों से संबंधित है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अधिनियम द्वारा उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के अधिकारो का हनन ना होने हेतु डी.एफ.ओ. गुणा को चेताया तथा कहा कि किसी भी परिस्थिति में अनुसूचित जनजाति समाज के वैधानिक कृषको तथा वन प्रयोग में किसी भी तरह की समस्या ना उत्पन्न हो यह सुनिश्चित कराएं।

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण एवं अभ्यावेदकगण के कथनों पर विचार करने के उपरांत माननीय आयोग ने निम्न अनुशंसा की –

(i) जिला प्रशासन एवं वन विभाग संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करें कि मामले की जांच पूर्ण होने तक अभ्यावेदकगण के साथ किसी प्रकार की बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही न की जाए तथा विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन किया जाए और किसी भी परिस्थिति में किसी भी अनुसूचित जनजाति समाज के वैधानिक अधिकारों से वंचित न किया जाए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

फाइल सं. NCST/DEV 7423/MP/257/2026-RU-I

\.\.\.\.\.\.\.\.

दिनांक: 16.06.2026

विषय: वन भूमि पर विगत 25-26 वर्षो से काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे भिलाला जनजाति समुदाय के परिवारों को बेदखल किए जाने एवं कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न किए जाने संबंधी श्री मुलेश भिलाला एवं अन्य निवासी ग्राम आँखवारी एवं केसवारी, तहसील-बामोरी ,जिला-गुना, मध्यप्रदेश-473105 का अभ्यावेदन दिनांक 09.04.2026 के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.06.2026 को आयोजित मीटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेदु कांत	निदेशक		
3.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4.	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला-गुना,
कलेक्टर कार्यालय, गुना-473001, मध्य प्रदेश

क. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				

वन मंडलाधिकारी, गुना वन मण्डल, मध्य प्रदेश
कार्यालय वनमंडलाधिकारी वनमंडल, गुना-473001, मध्य प्रदेश

क. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	अभय राठौर	DFO गुना	7060234801	(signature)
2.	[illegible]	SDO बमोरी	9753299937	(signature)
3.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				